

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर

क्रमांक / सामान्य / 18 / 1105

दिनांक:- 20-02-18

श्रीमान संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
भरतपुर जॉन भरतपुर

विषय - मृतक सरितादेवी पत्नि स्व० रमाकान्त के सम्बन्ध में
तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महिला सरितादेवी पत्नि रमाकान्त उम्र 40 वर्ष कल दिनांक 19-2-18 को एआरटी सेन्टर पर अपनी नियमित दवाईया लेने आरबीएम चिकित्सालय आयी थी उक्त महिला बिहार की रहने वाली थी। उक्त महिला रिक्शा में आई थी जो कि ट्रौमासेन्टर पर नहीं आयी थी वह सीधे एआरटी सेन्टर में दवा लेने जा रही थी लेकिन मैडिकल आउटडोर के सामने गुजरते वक्त उसकी तबीयत अचानक खराब हो गयी व गंभीर हो गई जिसे तुरन्त मैडिकल आउटडोर की पेरान्त ट्रौली पर लेकर डा० सुभाष बंसल, वरिष्ठ फिजिशियन को परीक्षण कराया तो उक्त महिला मृत पायी। डा० बंसल ने मृत महिला को मुर्दाघर में रखने के लिए कहा तो उसकी बेटी ने बिलकुल मना कर दिया और कहा कि हम तो घर ही ले जावेंगे। तब तक उक्त महिला को ट्रौमा में रखवा दिया गया। मृतक का पुत्र दोपहर बाद 3:30 बजे कर्षीव आया तो वह बोला कि हम बिहार ले जावेंगे, हमारे परिजनों के आन पर ही ल जावेंगे अभी हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस को सूचना उपरान्त चाकी पुलिस के द्वारा मृतक को मुर्दाघर में शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद डाक्टरों व स्टाफ ने पैसे इकटठे करके रात 9:00 पीएम पर उसे बिहार के लिए भिजवाया।

अतः सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
भरतपुर

दिनांक:- 20-02-18

क्रमांक / सामान्य / 18 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर
- 2- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर
- 3- श्रीमान अति० निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
भरतपुर